संख्या-7/2025-47-22-4-2025-1889670

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 11 फरवरी, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष-2024-25 में विभिन्न कारागारों में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-32371/नम-3/कार्य योजना/2024-25, दिनांक 29-10-2024 एवं पत्र संख्या-34648/नम-3/कार्य योजना/2024-25, दिनांक 18-11-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2024-25 में प्रदेश की विभिन्न कारागारों में अलग-अलग 17 निर्माण कार्यों को कराये जाने हेतु निम्न सारणी के स्तम्भ-5 में अंकित लागत की धनराशि रू0 4243.50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सहित स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि **रू0 4243.50 लाख (रूपया बयालीस करोड़ तिरालीस लाख पचास हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	**कारागार का नाम**	**कार्य का नाम**	**कार्यदायी संस्था**	**लागत की धनराशि**	**वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत की जाने वाली की धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	केन्द्रीय कारागार वाराणसी	12 क्षमता की उच्च सुरक्षा बैरक का निर्माण कार्य	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	200.52	200.52
2	जिला कारागार मऊ	एकल कक्ष 04 नग का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	32.04	32.04
3	केन्द्रीय कारागार नैनी	चक्र सं0-1 में पुरानी जीर्णशीर्ण बैरकों के स्थान पर 30 क्षमता की 04 नग बैरक कुल क्षमता-120 (02 नग भूतल 02 नग प्रथम तल) का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	401.72	401.72

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	जिला कारागार गाजीपुर	60 बन्दी क्षमता की महिला बैरक भूतल पर क्रेच, किचन, हास्पिटल तथा इनक्लोजरवॉल सहित	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	372.68	372.68
5	जिला कारागार गाजीपुर	60 बन्दी क्षमता (01 नग भूतल 01 नग प्रथम तल) डबल स्टोरी अल्प वयस्क बैरक	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	252.98	252.98
6	जिला कारागार गोण्डा	पुरानी जीर्णशीर्ण बैरकों के स्थान पर 30 क्षमता की 02 नग बैरक कुल क्षमता-60 (01 नग भूतल 01 नग प्रथम तल) का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	215.27	215.27
7	जिला कारागार बांदा	30 बंदी क्षमता की 04 नग बैरक कुल क्षमता-120 (02 नग भूतल 02 नग प्रथम तल) का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	442.58	442.58
8	जिला कारागार इटावा	24 बंदी क्षमता की हाई सिक्योरटी बैरक (12 क्षमता भूतल एवं 12 क्षमता प्रथम तल)	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	337.59	337.59
9	जिला कारागार अलीगढ़	अहाता संख्या-16,17,18 की सर्किलवाल का निर्माण (100 मी० लम्बी)	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	61.73	61.73
10	जिला कारागार हरदोई	लगभग 80 मी० लम्बी सर्किल वॉल का पुनः निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	59.06	59.06
11	जिला कारागार मथुरा	30 क्षमता की 04 नग बैरक कुल 120 क्षमता (02 नग भूतल 02 नग प्रथम तल) सर्किलवॉल सहित	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	493.25	493.25
12	जिला कारागार आगरा	30 क्षमता की 02 नग बैरक कुल 60 क्षमता (30 क्षमता की 01 नग भूतल 30 क्षमता की 01 नग प्रथम तल)	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	322.76	322.76
13	जिला कारागार झांसी	30 क्षमता की 02 नग बैरक कुल क्षमता-60 (01 नग भूतल 01 नग प्रथम तल)	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	176.74	176.74

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14	जिला कारागार इटावा	लगभग 102 मी0 पुरानी जीर्ण शीर्ण मेनवाल का पुन: निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	80.91	80.91
15	जिला कारागार, मेरठ	पुरानी बैरक संख्या-7,8,9 को तोड़कर 30 क्षमता की 02 नग बैरक कुल 60 क्षमता (30 क्षमता की 01 नग भूतल 30 क्षमता की 01 नग प्रथम तल) का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	270.02	270.02
16	जिला कारागार, मेरठ	पुरानी बैरक संख्या-7,8,9 को तोड़कर 30 क्षमता की 02 नग बैरक कुल 60 क्षमता (30 क्षमता की 01 नग भूतल 30 क्षमता की 01 नग प्रथम तल) का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	268.91	268.91
17	जिला कारागार, प्रतापगढ़	12 क्षमता की उच्च सुरक्षा बैरक का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	254.74	254.74
		योग		**4243.50**	**4243.50**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा आवश्यकता/नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(4) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिर्वतन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि बिना पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये नही किया जायेगा।

(5) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। महानिरीक्षक, कारागार परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा ।

(8) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(9) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु- 2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा ।

(10) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारभ कराया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व महानिरीक्षक, कारागार/कार्यदायी संस्था का होगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2025 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(13) महानिरीक्षक कारागार निर्माण कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा कार्य की गुणवत्ता आदि की प्रगति के संबंध में अपने स्तर से समीक्षा करते हुए प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(14) स्वीकृत कार्यों पर कोई अतिरिक्त चार्जेज देय नहीं होगें। स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही समय-सीमा में कार्य पूर्ण किये जायेंगे। यदि कार्य की लागत अथवा समय-सीमा बढ़ती है तो सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 42,43,50,000 (रुपये बयालीस करोड़ तैंतालीस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4059800510300 कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-7 /2025-47-22-4-2025-1889670, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)।

(4)जिलाधिकारी,वाराणसी/मऊ/प्रयागराज/गाजीपुर/गोण्डा/बांदा/इटावा/अलीगढ़/हरदोई/मथुरा/आगरा/झांसी/मेरठ/ प्रतापगढ़।

(5)वरिष्ठअधीक्षक/अधीक्षक,/मऊ/गाजीपुर/गोण्डा/बांदा/इटावा/अलीगढ़/हरदोई/मथुरा/आगरा/झांसी/मेरठ/ प्रतापगढ़ एवं केन्द्रीय कारागार वाराणसी/नैनी ।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(9) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्यय) अनुभाग-1/2

(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in